94

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/धार/भू.रा./2018/4478 विरूद्ध आदेश दिनांक 23.06.2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर, प्रकरण क्रमांक 0011/2017-18/अपील.

राधास्वामी आश्रम घटोदा
संचालक, ईश्वरदास पिता सूरतसिंह
निवासी ग्राम घटोदा, तहसील सरदारपुर,
जिला धार, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा
पटवारी हल्का नम्बर 16, घटोदा .....अनावेदक

श्री नरेश कुमार, अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमंत मूंगी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/9/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 23.06.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का नम्बर 16 मौजा घटापेदा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सरदारपुर को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम घटोदा की भूमि सर्वे नम्बर 415/1 रकबा 9.693 हैक्टेयर भूमि मद निस्तार तालाब से आवेदक द्वारा अवैध रूप से पोकलेन मशीन से मुरम की खुदाई की जाकर, रोड निर्माण किया जा रहा है। पटवारी द्वारा मौके पर 01 पोकलेन मशीन जप्त कर, थाना सरदारपुर के सुपर्दनामा किया गया। इस प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, सरदारपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 05/अ-67/14-15 दर्ज कर खनिज विभाग से प्रतिवेदन चाहा गया। खनिज अधिकारी से मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आवेदक को संहिता की धारा 247(7) क के अंतर्गत रूपये 18,13,500/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा एक अपील अपर कलेक्टर, जिला धार के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.09.2017 से अस्वीकार की जाकर, विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखा गया। अपर कलेक्टर, जिला धार के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 23.06.2018 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपखण्ड संभाग क्र. 1 सरदारपुर द्वारा दिनांक 12.01.2015 के कार्यालयीन पत्र क्र. 16 के माध्यम से संबंतिध अधिकारी को ग्राम घटोदा तालाब बेसीन में अतिक्रमण एवं अवैध उत्खनन हो रहे होने संबंधित एवं रोकने पर दादागिरी की जाने संबंधी सूचना के साथ यह निवेदन किया गया कि संबंधितों के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जाये।

(2) संबंधित अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त पत्र के माध्यम से संज्ञान लेते हुए संबंधित पत्र की जांच किए जाने हेतु मौजा पटवारी को संबंधित स्थान के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशानुसार पटवारी हल्का नम्बर 16 मौजा घटोदा द्वारा, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए ग्राम घटोदा की भूमि सर्वे नम्बर 415/1 रकबा

9.693 हैक्टेयर मद निस्तार तालाब में आवेदक के द्वारा अवैध रूप से पोकलेन मशीन से मुरम खुदाई कर रोड निर्माण किये जाने संबंधी सूचना दी गई, जबकि ना तो आवेदक मौके पर मौजो पटवारी को उत्खनन करते हुए मिला व ना ही आवेदक को ऐसे किसी निरीक्षण के पूर्व या पश्चात् मौजा पटवारी द्वारा कोई सूचना पत्र ही प्रदत्त किया गया। उक्त प्रतिवेदन में पटवारी द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया कि मौके पर एक पोकलेन मशीन जप्त कर पुलिस थाना सरदारपुर के सुपुर्द कर दी गई एवं मौका पंचनामा नक्शा ट्रेश तथा खसरा नकल व जप्ती पंचनामे की भूमि भी उक्त प्रतिवेदन के साथ पटवारी मौजा द्वारा प्रस्तुत की गई, जबकि खनन किये जाने वाली पोकलेन मशीन किसी अन्य के स्वामित्व की रही होने एवं उक्त पोकलेन मशीन के संबंधित स्वामी द्वारा भी आवेदक के संबंध में कोई कथन नहीं दिये हैं। इसी के साथ जप्त सुदा पोकलेन मशीन श्री फिरोज खत्री पिता युसूफ खत्री को प्रक्रिया अनुसार सुपुर्दगी पर दिये जाने संबंधी आदेश भी दिए गये।

श्री फिरोज खत्री पिता युसुफ खत्री द्वारा भी शपथ पत्र अभिलेख पर दिया गया है कि उक्त पोकलेन ना तो आवेदक चलवा रहा था ना ही उत्खनन से उसका कोई संबंध रहा है।

किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी ने आवेदक के विरूद्ध कोई कथन नहीं दिय हैं व ना ही कोई परिस्थिति जनक साक्ष्य ही अभिलेख पर उपलब्ध है, अपितु मात्र किसी के वेग में कह देने से सुनी सुनाई साक्ष्य पर विश्वास कर आवेदक को दोषी माना गया है, जो सर्वदा कानून की मंशा के विपरीत है।

(3) दिनांक 27.01.2015 को अवैध मुरम उत्खनन की गणना हेतु नायब तहसीलदार खनिज निरीक्षण तथा नाप अनुसार संबंधित व्यक्ति द्वारा लगभग 6045 घनमीटर का अवैध उत्खनन होना पाया जाने का उल्लेख करते हुए खनिज का बाजार मूल्य 4,53,375/- रूपये आंकते हुए प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया।

(4) प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, जिनके समक्ष संबंधित दस्तावेज तैयार किये गये, उन साक्षियों के कोई भी कथन अभिलेख पर नहीं करवाये गये हैं।

(5) अनावेदक की ओर से प्रस्तुत साक्षी राजेश कुमार गंगेले द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान आवेदक के संदर्भ से मौके पर अनुपस्थित रहने की स्वीकारोक्ति एवं कथित उत्खनन आवेदक द्वारा किये जाने के संबंध में जानकारी नहीं होने की स्थिति स्पष्टत: प्रकट की है।

(6) अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजों एवं मौखिक कथनों के माध्यम से अन्य लोगों के द्वारा सड़क पर मुरम बिछाई जाना संबंधित कथन दिए जाना प्रमाणित होने पर भी और उस स्थिति में आवेदक के विरूद्ध कोई भी निष्कर्ष निकाले जाने की स्थिति नहीं होने पर भी उसके विपरीत निष्कर्ष लेते हुए रिविजनगत आदेश दिये जाने में गंभीरतम त्रुटि की है।

(7) प्रस्तुत पंचनामा जिसके आधार पर आवेदक को दोषी माना गया है, उक्त पंचनामे पर हस्ताक्षरित किसी भी स्वतंत्र साक्षी को अभिलेख पर परीक्षित नहीं किया गया है।

(8) अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य अनुसार कथित मुरम किसी भी प्रकार से निजी उपयोग में ली जाना प्रमाणित नहीं होने पर भी इसके विपरीत किसी सार्वजनिक कार्य में कथित उत्खनन की गई मुरम उपयोग में ली जाने पर उसे शासकीय कार्य में उपयोग ली जाना मानने के प्रावधान प्रचलित होने पर एवं उस स्थिति में कथित उत्खनन की गई मुरम सार्वजनिक रोड़ (सड़क बनाये जाने में उपयोग ली गई होने से प्रचलित प्रावधानों के अनुसार कथित मुरम शुल्क मुक्ति की श्रेणी की रही है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अवैध मुरम का उत्खनन कर आवेदक द्वारा ही उसका उपयोग किया गया है। पोकलेन मशीनधारी द्वारा अपने आवेदन में उल्लेखित तथ्यों के समर्थन मे ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे प्रमाणित हो कि उक्त मशीन कृषकों के कहने पर उसके द्वारा चलाई जा रही थी। आवेदक पक्ष का यह कहना कि अन्य लोगों के द्वारा

सड़क पर मुरम बिछाई जाने संबंधी कथन किया गया है, परंतु यह लेख नहीं किया गया कि उक्त प्रकार का कथन किसके द्वारा किया गया है। आवेदक का यह कथन भी मानने योग्य नहीं है कि पंचनामे पर किसी ऐसे स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं हैं, क्योंकि पंचनामे पर जो हस्ताक्षर हैं, उनमें से कई हस्ताक्षर स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर हैं। अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उचित एवं वैधानिक आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि अपर कलेक्टर, धार एवं अपर आयुक्त द्वारा की गई है। इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं। इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीराम विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50 - तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश 23.06.2018 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.06.2018 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर